Copy of letter No. 9500/C.O. dated July 29, 1967 from the Secretary to the Chancellor, Uttar Pradesh, Lucknow addressed to the Registrar, Meerut University, Meerut.

With reference to your letter No. 4898 dated July 5, 1967 regarding Grant of permanent affiliation to A.K.P. Degree College, Khurja, for the B.A. in General English, History, Hindi, Sanskrit, Economics, Political Science and Psychology. I am directed to say that in view of the fact that the Vice-Chancellor after his personal visit to the College, is satisfied about the fulfilment of all conditions of affiliation by the College, the Chancellor has been pleased, under Section 19(1)(1) of Kanpur and Meerut Universities Act, to grant permanent affiliation to the College for the B.A. Degree in the above subjects.

...

MEERUT UNIVERSITY
MEERUT

Ref. No. AF-49-2(a)/10316 Dt. 3rd 4 August, 1967.

Copy forwarded to the Principal, A.K.P. Degree College, Khurja for information.

Sd. S.K. Goswami

(S.K. Goswami)
Registrar
4.8.67

VKA/3.8

1/2/84
673
52

मेरठ विश्वविद्यालय
MEERUT UNIVERSITY

Phone : PBX 75021 to 26
Ext No.........
Ref. No. AF-49(11)/8
Date 20.1.1989

The Principal,
A.K.P. College,
Khurja (Bulandshahr)

Madam,

In view of the Chancellor's letter bearing Ref. No. E-876 G.S. dated October 7, 1988 and the resolution No. Cth. ( ) of the meeting dated 22.12.1988 of the Executive Council of the University, I write to inform you that your college has been granted permanent affiliation in M.A. Hindi under the Faculty of Arts w.e.f. 1.7.1988.

Yours faithfully

(R.K. Singh)
Dy. Registrar (Affl.)
for Registrar

Copy to:
1. The Director of Education (Higher) U.P. Allahabad.
2. The Dy. Director of Education Ist Region, Meerut.
3. The D.I.O.S. Bulandshahr.
4. The Dy. Registrar (Exam.)
5. The Dy. Registrar (Conf.

(R.K. Singh)
Dy. Registrar (Affl.)
for Registrar

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

13/6/07
64
M.A. Pol. Sci.

पत्रांक : सम्बद्धता/678
दिनांक : 12 जून, 2007

सेवा में,

प्राचार्या,
आर्य कन्या पाठशाला (पी0जी0) कालेज,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

महोदया,

माननीय कुलाधिपति सचिवालय के पत्र संख्या-ई.स. 1342/जी.एस. दिनांक 01.09.2006 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलाधिपति महोदय ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37(2) के अधीन आर्य कन्या पाठशाला (पी0जी0) कालेज, खुर्जा (बुलन्दशहर) को एम0ए0 (राजनीतिशास्त्र) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 03 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एंव समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार आर्य कन्या पाठशाला (पी0जी0) कालेज, खुर्जा (बुलन्दशहर) को एम0ए0 (राजनीतिशास्त्र) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा/गोपनीय) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)
कृते कुलसचिव

24-8-09
102
गृहविज्ञान

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/1568
दिनांक : 22/8/09

सचिव,
ए0के0पी0 कालेज,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–5501/सत्तर–2–2008–2(227)/2004टी0सी0, दिनांक 20.02.2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **ए0के0पी0 कालेज, खुर्जा (बुलन्दशहर)** को **बी0ए0 (गृहविज्ञान)** विषय में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **ए0के0पी0 कालेज, खुर्जा (बुलन्दशहर)** को **बी0ए0 (गृहविज्ञान)** विषय में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता** की पूर्वानुमति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव